12

परिवार एवं विवाह की अवधारणा

*अर्चना कौशिक

प्रस्तावना

परिवार को मानव सभ्यता का गढ़ माना जाता है। यह मानव विकास के अनिवार्य अंग का निर्माण करता है जिसके बिना समाजों का अस्तित्व आज के वर्तमान रूप में संभव नहीं हो पाता। दार्शनिकों और समाज वैज्ञानिकों (Social Scientists) ने अवलोकन किया है कि समाज परिवारों से निर्मित एक संरचना (Structure) है तथा समाज विशेष की विशेषताओं का अध्ययन परिवार के विन्यास (ढांचे) और कार्यसंचालन (Functioning) का अवलोकन करके किया जा सकता है। परिवार की संस्था के विकास का एक प्राथमिक कारण शिशुओं और बालकों को संरक्षण और लालन-पालन प्रदान करना है जो जन्म के समय शायद सबसे अधिक असहाय प्राणी होते हैं।

सामाजिक संस्था के रूप में परिवार का विकास सभी समाज में औपचारिक रूप से होता है। इसे समाजीकरण की प्राथामिक इकाई (Primary Unit) माना जाता है। यह व्यक्ति की पहचान का सदस्यों, विशेषकर बालकों के व्यक्तित्व को आकार देता है तथा सामाजिक पर्यावरण से संपर्क करने के लिए कौशलों का संचार करता है। यह अपने सदस्यों को सुरक्षा, संरक्षण, प्रेम और स्नेह प्रदान करता है।

परिवार संस्था एक सार्वभौमिक परिघटना (Universal Phenomenon) है, यद्यपि इसके विभिन्न विन्यास, प्रकार, रचना और कार्य होते हैं। अनेक वर्षों से, विश्व में समाजों ने परिवार के विन्यासों में अनेक परिवर्तन देखे हैं। वैश्वीकरण (Globalization) और उपभोक्तावाद (Consumerism) की हाल ही की परिघटनाओं ने परिवार एवं

* *डॉ. अर्चना कौशिक, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली*

गृहस्थ के नए और विविध रूपों को जन्म दिया है। यह बढ़ते हुए शहरीकरण (Urbanization) और उद्योगीकरण (Industrialization) के क़ारण विस्तारित परिवारों (Extended Families) से नामिक परिवारों (Nuclear Families) तक एक धीमी प्रवृत्ति का अभ्युदय (Emergence) है।

हमारे पास पहले की अपेक्षा एकल अभिभावक परिवारों (Single Parent Families) का पर्याप्त अनुपात (Proportion) है। परिवार व्यवस्था (Family System) बदलती सामाजिक स्थितियों की बढ़ती मांगों के अनुसार ढालने के लिए नए रूप ग्रहण कर रही है। परिवारों की अवधारणा, रचना और वर्गीकरण की जानकारी प्राप्त करने से पहले, आइए अन्य संबंधित और पर्याप्त महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था-विवाह जिसे पारिवारिक जीवन चक्र का प्रारंभ माना जाता है, का अवलोकन करें।

एक पुरुष और एक महिला के बीच विवाह को प्राचीनकाल से ही परिवार के निर्माण का आधार माना जाता है। शिशु के जन्म के साथ ही, एक परिवार को पूरी तरह सम्पूर्ण समझा जाता है। प्रकृति में कुछ ही जीवों (Organisms) जैसे अमीबा (Amoebae) को अलैंगिक रूप में (Asexually) प्रजनन करने की क्षमता है तथा होमोसैपियंस (मानवों) सहित अधिकांश प्रजातियों (Species) को यौन रूप से प्रजनन करने की क्षमता है। पति-पत्नी के मध्य यौन संबंध स्थापित करने, प्रजनन करने तथा पारिवारिक वंश परंपरा और समाज की निरंतरता बनाए रखने के लिए विवाह को सामाजिक मान्यता प्राप्त है।

इस प्रकार विवाह प्रजनन के लिए सामाजिक स्वीकृति है जो परिवार का एक महत्वपूर्ण कार्य है। विवाह से जुड़े ऐसे अनेक अनुष्ठान और समारोह हैं जो प्रत्येक धर्म तथा संस्कृति में अलग-अलग हैं। यह ध्यान देने की बात है कि सामाजिक संविदा (करार) के रूप में विवाह दम्पति के सामने अनेक भूमिकाएं और उत्तरदायित्व प्रस्तुत करता है जिन पर व्यापक संदर्भ में पितृसत्तात्मक (Patriarchal) और मातृसत्तात्मक (Matriarchal) सामाजिक संरचनाओं द्वारा नियंत्रण किया जाता है। विवाह मानव प्रकृति का अभिन्न अंग नहीं है परंतु यह एक मानव निर्मित सामाजिक प्रथा और संस्था है जो प्रागैतिहासिक काल (Pre-historic Period) में भी मौजूद थी। यह एक प्राकृतिक संबंध नहीं है परंतु एक पुरुष और महिला के बीच उत्तरदायित्व है। संस्कृति के उत्थान के साथ-साथ विवाह भी धार्मिक और कानूनी स्वीकृतियों के साथ एक सामाजिक कार्य (समारोह) हो गया।

अतः विवाह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें मानव लैंगिकता (Human Sexuality) को सामाजिक मान्यता प्राप्त है। इसने समाज की छोटी-छोटी इकाइयों जैसे परिवार के लिए एक आधार का सृजन करके सामाजिक जीवन को संभव बनाया है।

मनुष्य अपने परिवारों से बहुत कुछ प्राप्त करते हैं तथा व्यापक सामाजिक पर्यावरण (परिवेश) में विभिन्न भूमिकाएं निभाने के लिए सामाजीकरण करते हैं। पारिवारिक जीवन आरंभ करने के लिए, एक महिला और पुरुष एक-दूसरे से विवाह करते हैं। किसी समाज में विवाह समारोहों का उद्देश्य समुदाय और समाज को सहसंबंध के बारे में जानने और इसका संरक्षण करने की अनुमति देना है। सामाजिक संस्थाओं के रूप में परिवार और विवाह का अर्थ मानव की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है जैसे सुरक्षा, स्नेह, प्रेम, देखरेख, अपनापन, पहचान और महत्व प्रदान करना।

परिवार : अर्थ एवं कार्य

आइए, 'परिवार' की कुछ विशेषताओं का अवलोकन करें। परिवार केवल एक जैविक समूह (Biological Group) ही नहीं है बल्कि यह मुख्यरूप से एक सामाजिक संस्था है। इसके सदस्य नियमों और विनियमों से नियंत्रित होते हैं। इसके सदस्यों का व्यवहार सहज प्रवृत्तियों से नहीं बल्कि रीति-रिवाजों से प्रेरित होता है जो पारिवारिक व्यवहार के मानदंडों को निर्धारित करते हैं।

परिवार व्यक्तियों से निर्मित होता है जो विवाह, रक्त और दत्तकग्रहण (Adoption) के संबंधों से बंधे होते हैं। पति और पत्नी के बीच संबंध विवाह का संबंध होता है और माता-पिता तथा संतानों के बीच संबंध सामान्य तौर पर रक्त का संबंध होता है, हालांकि कभी-कभी यह संबंध दत्तकग्रहण का होता है।

परिवार के सदस्य विशेषरूप से एक ही छत (घर) के नीचे एकसाथ रहते हैं और एक एकल गृहस्थ (परिवार) का निर्माण करते हैं। यदि वे दूर-दूर रहते हैं तो भी अपने 'घर' को परिवार समझते हैं। परिवार अथवा कुटुंब की परिभाषा व्यक्तियों का वह समूह है जो एक ही स्थान में रहता है और एक एकल गृह-व्यवस्था इकाई (House Keeping Unit) का निर्माण करता है।

परिवार व्यक्तियों से निर्मित होता है जो अपनी सामाजिक भूमिकाओं में एक-दूसरे के साथ अंतःसंपर्क और संप्रेषण करते हैं जैसे पति और पत्नी, पुत्र और पुत्री, भाई तथा बहन।

सामाजिक अपेक्षाओं से ही भूमिकाएं परिभाषित होती हैं। ये भूमिकाएं परिवार में रहने के अनुभवों से और भी सुदृढ़ होती है। इसे व्यक्तियों और अन्य सामाजिक संस्थाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समाज की बुनियादी इकाई माना जाता है।

परिवार एक साझा संस्कृति को बनाए रखता है। यह संस्कृति सामान्य संस्कृति से उत्पन्न होती है परंतु प्रत्येक परिवार की कुछ अलग विशेषताएँ होती हैं।

परिवार के प्रकार (Types of family) : परिवारों को वंश (Descent), आवास-स्थल और प्राधिकार (Authority) के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। वंश के आधार पर **परिवारों को पितृवंशीय (Patrilineal) और मातृवंशीय (Matrilineal)** परिवारों में वर्गीकृत किया जाता है। दंपति के निवास स्थान या तो यह पति के अथवा पत्नी के माता-पिता के साथ अथवा पास है- ऐसे परिवारों को **पितृस्थानिक** (Patrilocal) अथवा मातृस्थानिक (Matrilocal) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नवस्थानिक परिवारों (Neo-local Families) में पति-पत्नी अपने-अपने परिवारों से अलग रहते हैं और अपनी 'नई' पारिवारिक इकाई (गृहस्थी) आरंभ करते हैं। एक नया महत्वपूर्ण वर्गीकरण पितृसत्तात्मक अथवा मातृसत्तात्मक परिवार है। **पितृसत्तात्मक परिवार** में सदस्य पिता के प्राधिकार (प्रभुत्व) में रहते हैं और उसके माध्यम से ही वंश का पता चलता है। **मातृसत्तात्मक परिवार** में विस्तारित परिवार के सदस्य मां के प्राधिकार के आधीन साथ-साथ रहते हैं और वंश का पता मां के माध्यम से ही चलता है।

परिवार के विभिन्न रूप हो सकते हैं जैसे दांपतिक (Conjugal), नाभिक (Nuclear),संयुक्त (Joint) परिवार जिन्हें साधारण तौर पर (Normative) मानक अथवा आदर्श पारिवारिक विन्यास कहा जाता है। दांपतिक परिवार पति-पत्नी इकाई को सूचित करता है। नाभिक परिवार में पति-पत्नी और उनकी संतान होती है। संयुक्त परिवार में तीन पीढ़ियाँ (Generations) साथ-साथ रहती हैं-पत्नी, पत्नी और विवाहित संतान, विवाहित संतान के पति-पत्नी, अविवाहित संतान, दादा-दादी आदि। यह देखा जा सकता है कि समय के साथ-साथ परिवार की परिभाषा भी बदलती रही है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो, एक संस्था के रूप में परिवार वर्गीकरण, रचना, भूमिकाओं और कार्यों के अनुसार बदल गया है। प्राचीन काल में, केवल संयुक्त परिवार समूह ही 'परिवार' कहलाने योग्य होते थे और फिर सामाजिक परिवर्तनों की शक्तियों जैसे शहरीकरण, उद्योगीकरण के कारण, संयुक्त परिवार समूहों ने नाभिक परिवार व्यवस्था

का मार्ग प्रशस्त किया। इस समय, अनेक **'वैकल्पिक'** (Alternate) परिवार समूह मानक परिवार विन्यासों के अलावा विभिन्न भूमिकाओं एवं कार्यों के साथ अंभर कर सामने आ रहे हैं। वे एक अभिभावक परिवार, महिला प्रमुख परिवार (Women Headed Families), संतानहीन परिवार, दत्तकग्राही परिवार (Adoptive Families), दोहरे अर्जक परिवार (Dual Earner Families) हो सकते हैं। परिवार की बदलती हुई संरचना और कार्यों के प्रकाश में, 1994 में संयुक्त राष्ट्र ने इस सामाजिक संस्था की परिभाषा इस प्रकार दी है :

परिवार को व्यापक रूप से दो अथवा अधिक व्यक्तियों की इकाई माना जाता है जो विवाह, रक्त, दत्तकग्रहण अथवा सहमतिजन्य एकता से बंधा होता है। इस प्रकार, सहमतिजन्य एकताओं को सभी उभरते हुए परिवार के वैकल्पिक रूपों जैसे एकल अभिभावक परिवार, दत्तकग्राही परिवार, केवल दादा-दादी, नाना-नानी परिवार, जीवंत संबंध (Live-in-Relationships), समानलिंगी परिवार (Same Sex Families) तथा विभिन्न मानक पारिवारिक संरचनाएं में सही व्यवस्थित होने के लिए सम्मिलित किया गया है।

इस प्रकार, परिवार एक उच्च गतिशील अवधारणा है। एक सामाजिक संस्था के रूप में परिवार में न्यूनाधिक औपचारिक नियम और विनियम होते हैं और परिवार सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए व्यवस्थित होता है। यह ऐतिहासिक रूप से नृजातीय समुदाय (Ethnic Community) का अभिन्न अंग रहा है जिसने परिवार में पितृसत्ता का संवर्धन किया है।

विवाह : अर्थ एवं उद्देश्य

विवाह की परिभाषा "पुरुष का महिला के साथ सामाजिक रूप से स्वीकृत मेल" के रूप में की जा सकती है ताकि वे पति और पत्नी की भूमिकाओं का निर्वाह कर सकें। भिन्न-भिन्न लोगों के लिए विवाह शब्द के अलग-अलग अर्थ और अभिप्राय हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए पुरुष और महिला के बीच मानव प्रजाति के प्रजनन के लिए संबंध है। कुछ लोग इसे यौन संबंध का लाइसेंस मानते हैं। परंतु दूसरा समूह विवाह को सहचारिता (साथ), प्रेम और घनिष्ठता मानता है।

विवाह मानव जीवन का एक सर्वाधिक अनोखा और बहुमुखी संबंध है। यह जीवन पर्यंत सहचारिता, अपनापन और समर्थन (सहायता) का अवसर प्रदान करता है। यह

काम (Sex), घनिष्ठता, प्रेम और स्नेह की आवश्यकता पूरी करता है। समाज के परिप्रेक्ष्य से, यह संतान के प्रजनन और सामाजीकरण तथा परिवार के संचालन के लिए भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों का विभाजन है।

विवाह के संबंध में भारतीय विचारों में अनेक आयाम है। एक ओर विवाह धार्मिक और नैतिक तथा दूसरी ओर सामाजिक और आर्थिक दायित्वों के साथ एक संस्कार है। विवाह की हिंदी अवधारणा यह है कि यह एक संस्कार अथवा धर्म है अर्थात यह दो शरीरों का ही नहीं बल्कि दो आत्माओं का मिलन है। इसे एक अटूट बंधन माना जाता है जो केवल मृत्यु होने पर ही टूट सकता है। विवाह को वधू को उसके पिता अथवा अन्य उपयुक्त संबंधी द्वारा वर को दिया जाने वाला अनुष्ठानिक उपहार माना गया है ताकि दोनों साथ-साथ अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकें जोकि मानव अस्तित्व के लिए आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, इस्लाम कहता है कि विवाह एक संस्था है जिसे समाज के संरक्षण के लिए बनाया गया है ताकि मानव कपट और व्याभिचार से स्वयं की रक्षा कर सकें। इस्लाम में विवाह प्रायः एक सिविल करार होता है जिसके उद्देश्य सामान्य पारिवारिक जीवन और संतान का वैधीकरण (Legalization) है। इसाईयों में विवाह को एक पुरुष और एक महिला के जीवन का स्वैच्छिक मेल माना गया है जिसमें दूसरों का बहिष्कार होता है तथा एकविवाह प्रथा (Monogamy) पर बल दिया गया है।

विवाह के कानूनी पहलू भी होते हैं। विवाह की कानूनी स्वीकृति मौजूदा सामाजिक मानदंडों और रीति-रिवाजों पर आधारित होती है। यह प्रत्येक समाज में अलग-अलग है। भारत में लड़कियों के लिए विवाह की कानूनी न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष हैं। इसलिए, धार्मिक और समाजशास्त्रीय साहित्य के अनुसार विवाह दो विभिन्न लिंगी व्यक्तियों का अपनी यौन विशेषताओं के आजीवन पर परस्पर संबंध का मेल है जिसका उद्देश्य व्यक्ति की जैविक, संवेगात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं को पूरा करना है। प्रायः एक बंधन के रूप विवाह विभिन्न अनुष्ठानों और समारोहों को पूरा करने के साथ आरंभ होता है।

विवाह के कुछ व्यावहारिक अथवा उपयोगी पहलुओं का भली-भाँति उल्लेख किया जा सकता है। यह महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करता है जिन्हें गर्भावस्था और नवजात संतान की लंबी अवधियों से गुजरना पड़ता है। यह परिवारिक भूमिकाओं और कार्यों को अक्षुण्ण रखता है। यह समाज के लिए स्थिरता सुनिश्चित करता है तथा

रक्त संबंधों को सरल बनाता है।

समाजशास्त्री कूस (Koos) के अनुसार दो परिवारों में व्यक्ति द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका के स्वरूप के संदर्भ में अभिविन्यास परिवार (Family of Orientation) और प्रजनन के परिवार (Family of Procreation) के बीच एक विभाजन रेखा होती है। अभिविन्यास वाले परिवार में भूमिकाएं शिशु अवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में भिन्न-भिन्न होती है और उत्तरदायित्व और कर्तव्य नहीं होते। तथापि, पति/पत्नी विवाह के पश्चात जो व्यक्ति **प्रजनन के परिवार** पिता/माता, जीविका उपार्जक दादा/दादी, सेवानिवृत्त व्यक्ति आदि के रूप में भूमिका निभाता है उसकी विभिन्न अपेक्षाएं एवं उत्तरदायित्व होते हैं।

भारत में विवाहों को सामान्य रूप से इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है : साथियों की पसंद से अथवा प्रेम विवाह, तयशुदा विवाह (Arrange Marriages) और बलात/तयशुदा विवाह। इन्हें और भी एक विवाही (Monogamous) अथवा बहुविवाही (Polygamous) सिविल, धार्मिक या प्रथागत (रीति-रिवाज पर आधारित) विवाह के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

साथियों की संख्या को आधार मानकर, विवाह को मुख्यरूप से दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है- एक विवाह (Monogamy) अथवा बहुविवाह (Polygamy) । **एक विवाह प्रथा** एक पुरुष और एक महिला के बीच होती है। इस रूप का उच्च सामाजिक, कानूनी और धार्मिक महत्व होता है। **बहुविवाह** जिसका अर्थ अनेक पति/पत्नी से है जिसमें बहुपत्नी प्रथा (Polygamy) और बहुपति प्रथा (Polyandry), देवर विवाह (Levirate) और साली विवाह (Sarrorate) बहुपत्नी प्रथा का अर्थ एक से अधिक महिलाओं के साथ विवाह करना है। धार्मिक और नागरिक नियमों और कानूनों ने सशर्त बहुविवाह को स्वीकृति प्रदान की है जैसे पत्नी द्वारा पुत्र उत्पन्न न करना, पत्नी का समायोजन (तालमेल) न करने का स्वभाव आदि। **बहुपति विवाह प्रथा** वह विवाह है जिसमें एक महिला एक से अधिक व्यक्तियों से विवाह करती है। दक्षिण भाण में नीलगिरि के टोडाओं और कोटाओं में यह अत्यधिक सामान्य प्रथा है। बहुपति प्रथा भ्रात्रीय (Fraternal) अथवा अभ्रात्रीय (Non-fraternal) हो सकती है। भातृक **बहुपति प्रथा** में, पति सभी भाई होते हैं अथवा पिता पक्ष के चचेरे भाई होते हैं। अभातृक बहुपति प्रथा में, वे सगे-संबंधी नहीं होते जैसाकि केरल के नायरों में देखा जाता है। **देवर विवाह** एक बहुपत्नी विवाह का एक रूप है जिसमें व्यक्ति अपने दिवंगत बड़े भाई अथवा बड़े भाई के जीवनकाल के दौरान भी उसकी

पत्नी के साथ विवाह करता है। विवाह का यह स्वरूप हरियाणा के अहीरों, जाटों और गूजरों तथा उत्तरप्रदेश में कुछ अन्य जातियों में देखा गया है। विवाह की साली विवाह (Sorrorote) रूप में व्यक्ति की पत्नियां निरपवाद रूप से बहनें होती हैं। सामान्यरूप से यह भारत के नागाओं, गोंडों और बेगाओं में देखा जाता है। इस रूप का प्रचलन तब होता है जब पत्नी प्रजनन करने में असमर्थ हो अथवा मर गई हो।

परिवार एवं विवाह : समाज कार्य व्यावसायिकों के लिए निहितार्थ

परिवार का एक ऐतिहासिक-आदर्शवादी अर्थ है। यह निरंतरता और परिवर्तन के बीच एक कड़ी है। यह पालन-पोषण संवेगात्मक संबंध और समाजीकरण का प्रमुख स्रोत है। यह अपने सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करता है, बालक का भौतिक व्यक्ति से सामाजिक व्यक्ति के रूप में सामाजीकरण करता है तथा परिवार के सदस्यों की बुनियादी और विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करता है। जब पर्यावरण (परिवेश) से समस्याएँ उत्पन्न होती हैं तो यह स्थिरता और सहायता प्रदान करता है।

भारत में परिवार को प्रायः एक आदर्श सजातीय इकाई (Homogeneous Unit) समझा जाता है जिसमें शक्तिशाली नियंत्रणकारी उपाय होते हैं। तथापि, यह जानना जरूरी है कि परिवार के साथ कुछ अंतर्निहित समस्याएँ हो सकती हैं। परंतु भारत जैसे एक विशाल और सांस्कृतिक रूप से विविधता वाले देश में परिवारों के अनेक रूप हैं जो श्रेणी, नृजातीयता (Ethnicity) और व्यक्तिगत पसंदों में भिन्न-भिन्न हैं।

हाल ही में, समाजशास्त्रियों और समाजविज्ञानियों ने परिवार को आदर्शवादी, सार्वभौम (Univesal), पालन-पोषण का स्थिरस्वामी संवेगात्मक बंधन (संपर्क) और सहायता स्रोत समझने पर प्रश्न करना आरंभ कर दिया है। अपितु तो परिवार असमानता शोषण और हिंसा का स्रोत (मूल कारण) भी हो सकता है। कुछ पारिवारिक सदस्यों के विरूद्ध अंतर्निहित और निरंतर भेदभाव और शोषण हो सकता है।

अधिकतर परिवारों में संगतरूप से प्रायः लोकतांत्रिक मूल्य, समानता और समता नहीं पाए जाते। परिवार की पितृसत्तात्मक संरचना में, भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों तथा नियंत्रण एवं संसाधनों के वितरण का आयु और लिंग से कठोरतापूर्वक निर्धारण होता है। संसाधनों पर नियंत्रण तथा सर्वोच्चता (Superiority) की धारणाएं व्यक्ति को अपने आश्रितों के बारे में निर्णय लेने के लिए प्राधिकार प्रदान करती हैं जिसमें मुख्य रूप से महिलाएं और बालक शामिल होते हैं। एक प्राकृतिक अभिरक्षक (Custodian)

आदि के रूप में महिलाओं की अधीनता और इसके द्वारा लिंग भेदभाव अधिकांश पारिवारिक प्रथाओं जैसे बाल-विवाह, दहेज की मांगों, सती, लड़के का जन्म समारोह, बालिका भ्रूणहत्या और शिशुहत्या एक अभिन्न वास्तविकता रहा है। वे व्यक्ति और परिवार जो अपने समुदाय के नृजातीय मानदंडों का पालन नहीं करते, वे प्रायः बहिष्कार का सामना करते हैं

सामान्यरूप से पितृसत्ता (Patriarchy) से पितृवंश (Patriliny) और पितृस्थानिकता (Patrilocality) का पता चलता है जो महिलाओं को विवाह के पश्चात अपने जन्म के परिवार (मायका) से अलग करते हैं। महिलाओं का मां के घर (मायका) में प्रायः कोई नाम नहीं होता जहां वे अपना सारा समय और ऊर्जा लगाती हैं। अपने पति की मृत्यु अथवा छोड़ दिए जाने या तलाक हो जाने पर वह प्रायः असहाय (अकेली) हो जाती है क्योंकि न तो ससुराल में और न ही मायके में उसका कोई घर होता है।

मातृवंशीय और मातृस्थानिक संस्कृतियों में पितृसत्ता शक्ति के रूप में मौजूद दिखाई देती है और इस शक्ति पर नियंत्रण महिला द्वारा नहीं अपितु भाई द्वारा होता है।

विवाह संस्था और शिशु जन्म की घटना को पारिवारिक जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण माना जाता है कि बिना विवाह के एक साथ रह रहे दंपति, एक अभिभावक वाले परिवारों को पूर्ण परिवार अथवा सामान्य परिवार नहीं माना जाता है।

इस प्रकार, परिवार लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रोत्साहित करने का अवलंब (सहारा) नहीं है। वास्तव में, परिवारवाद (femilism) के नाम पर शिशु का लिंग और आयु द्वारा असमानता की अवधारणाओं में सामाजीकरण हो जाता है। यहां तक कि महिलाएं प्रारंभिक बाल्यावस्था से ही डरपोक, आज्ञाकारी, विनीत और आश्रित बनने के लिए पितृसत्तात्मक मूल्यों का ग्रहरण कर लेती हैं।

परिवार के सदस्यों के अतिरिक, समुदाय, समाज और राज्य द्वारा भी पितृसत्ता स्वीकार कर ली जाती है। अतः इससे केवल पारिवारिक जीवन ही नहीं बल्कि हमारे जीवन के सभी क्षेत्र भी प्रभावित होते हैं। लोकतांत्रिक परिवार की आवश्यकता केवल महिलाओं के लिए ही नहीं अपितु परिवारों के लिए भी एक प्रमुख चुनौती है।

समाज कार्य व्यावसायिकों के लिए परिवार और विवाह संस्थाओं को न केवल आदर्शवादी अर्थों में देखने अपितु लोकतांत्रिक मूल्यों और मानव अधिकारों के परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में उनकी भूमिकाओं और कार्यों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने की भी

आवश्यकता है। समाज कार्यकर्ताओं को ज्ञात होना चाहिए कि जहां परिवार और विवाह में संबंधित सदस्यों के कल्याण को सुनिश्चित करने की पर्याप्त क्षमता होती है, वहीं साथ ही साथ, वे परिवार के कुछ सदस्यों के साथ भेदभाव और उत्पीड़न भी कर सकते हैं।

समाज कार्य व्यावसायिकों को परिवार के रूपों, रचना और प्रकारों की विविधता को स्वीकार करना चाहिए। इससे पूर्वाग्रह (biases) और भेदभाव दूर हो सकेंगे जो 'परिवार' के बारे में कठोर विश्वासों के कारण उत्पन्न हो सकते हैं। ये विश्वास परिवार के, प्रत्येक व्यक्ति पर तब तक निशाना बांध सकते हैं जब तक व्यस्क अपनी पंसद से इसे नहीं छोड़ता है। दूसरे, उनका उद्देश्य एक लोकतांत्रिक परिवार हो सकता है जिसमें संबंधित सदस्यों तथा प्रचुर पारिवारिक संबंधों के लिए गुंजाइश है। तीसरे, उन्हें परिवार के लिए एक लोकतांत्रिक पर्यावरण की आवश्यकता पड़ती है जिसमें सौहार्दपूर्ण पारिवारिक परिस्थितिकी (Ecology) सहित परिवारों के विकास की गुंजाइश होती है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति से पारिवारिक इकाई मजबूत होगी और परिवारों और उनके सदस्यों का शोषण, विघटन और निराश्रितता (destitution) रूकेंगे।

पारिवारिक निर्धारण और मध्यस्थता

यह एक निर्विवाद धारणा है कि अपक्रियात्क (Dysfunctional) अथवा कुसमायोजित (Maladjusted) पारिवारिक प्रक्रियाएं व्यक्तियों के मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक कार्यसंचालन पर विपरीत प्रभाव डालती हैं। समाज कार्य व्यावसायिकों को प्रायः समस्याओं का समाधान करने हेतु सेवार्थियों की सहायता करने के लिए उनकी मध्यस्थताओं के दौरान परिवार के साथ अंतःसंपर्क करने की आवश्यकता पड़ती हैं चाहे यह केस अध्ययन (Case Work) समूह की स्थिति हो अथवा समाज कार्य अभ्यास की अन्य विधियाँ हों क्योंकि परिवार सार्वभौम रूप से मौजूद होता है तथा निर्धारण और मध्यस्थता सेवार्थियों के परिवार की भागीदारी के बिना मुश्किल से पूरी होती है। परिवार का अध्ययन करने के अनेक प्रतिरूप (माडल) रहे हैं परंतु सर्वाधिक प्रयोग होने वाला माडल 'व्यवस्था उपागम' (Systems approach) है।

सामान्य "व्यवस्था" का प्रतिमान सर्वाधिक लोकप्रिय और महत्वपूर्ण सैद्धांतिक ढांचा है जो परिवार के कार्यसंचालन को समझने के लिए व्यापक संरचना प्रदान करता है। व्यवस्था उपागम के अनुसार, परिवार एक व्यवस्था है जिसमें विभिन्न उपव्यवस्थाएं

हैं जो बुनियादी रूप से युग्म (पति-पत्नी, अभिभावक-संतान, सहोदर, दादा-पोता-पोती) होते हैं। परिवार व्यापक व्यवस्था का भी एक भाग है अर्थात सामाजिक पर्यावरण है और इसमें कार्य स्थल, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा पद्धति, नृजातीय समुदाय कानूनी प्रणाली, भौगोलिक परिस्थितिकी, राजनीतिक व्यवस्था आदि शामिल है। यह माना जाता है कि व्यवस्था की एक भाग में कोई भी परिवर्तन के प्रभाव अन्य उपव्यवस्थाओं और व्यवस्थाओं पर पड़ते हैं। यह परिवार के अंदर और बाहरी पर्यावरण दोनों के संबंध में लागू होता है।

निम्नलिखित आरेख (आरेख 1) सामाजिक व्यवस्था के रूप में संकल्पनात्मक ढांचे (Conceptual framework) को व्यक्त करता है और यह दर्शाता है कि परिवार एक गतिशील व्यवस्था है और सामाजिक पर्यावरण में अन्य व्यवस्थाओं के साथ अंतःसंपर्क करता है जैसे आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, नृजातीय समुदाय, पड़ोस आदि। बिंदु चिह्नित रेखाएं (Dotted lines) यह निरूपित करती हैं कि व्यवस्थाएं मुक्त (बंद) नहीं हैं परंतु सूचना व्यवस्था के अर्द्ध-पारगम्य परत (Semi-permeable membrance) से भी गुजर सकती है। यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि सामाजिक पर्यावरण में परिवार निष्क्रिय रूप से सूचना प्राप्त नहीं करता परंतु इसकी उपस्थिति अन्य व्यवस्थाओं को भी प्रभावित कर सकती है।

एक व्यवस्था के रूप में परिवार का संकल्पनात्मक ढाँचा

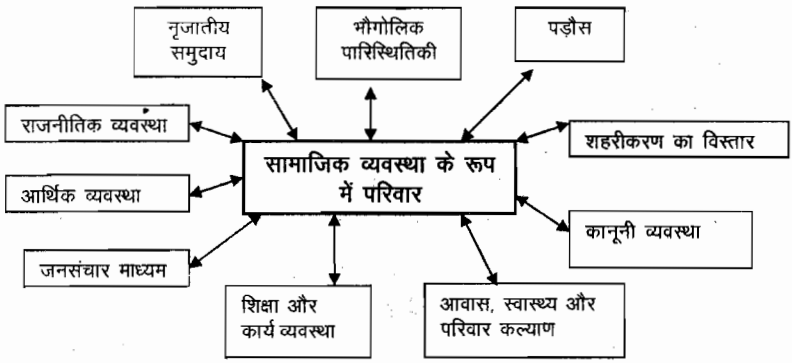

आरेख 1

परिवारों के साथ कार्य कर रहे समाज कार्यकर्ताओं को परिवार निर्धारण और मध्यस्थता के समूचे परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता पड़ती चाहिए। विद्यालय परिवेश में एक

विद्यार्थी जो शैक्षिक पिछड़ापन प्रदर्शित कर रहा है और विद्यालय शुल्क का भुगतान करने में सक्षम नहीं है, उसके मामले को निपटाने के लिए एक समाज कार्यकर्ता विद्यार्थी को केवल परामर्श दे सकता है और शुल्क माफ करने की सिफारिश कर सकता है अथवा व्यापक दृष्टिकोण अपना सकता है, घर पर दौरा कर सकता है और व्यवस्था उपागम का प्रयोग करते हुए समस्या के वास्तविक कारण का पता लगाने का प्रयास कर सकता है। जांच करने पर समाज कार्यकर्ता यह पता लगा सकता है कि लड़के के माता-पिता के साथ अनुकूल संबंध नहीं है तथा उनकी परस्पर गर्मागरम बहस होती है। दंपति के बीच बार-बार लड़ाई के कारणों की आगे जांच करने पर, समाज कार्यकर्ता ज्ञात कर सकता है कि समस्या कार्यस्थल व्यवस्था में है जहां बालक के पिता को नौकरी छोड़ने का नोटिस दिया गया है और वह लगातार तनाव में है कि यदि वह बेरोजगार हो जाता है तो परिवार का क्या होगा। अतः हम देखते हैं कि समस्त परिप्रेक्ष्य के होने से, समस्याओं के वास्तविक कारण तक पहुंचने में सहायता मिलती है। व्यवस्था उपागम का प्रयोग करते हुए, हम पाते हैं कि एक व्यवस्था में समस्या (यहां समस्या पिता के कार्यस्थल की है) के परिणाम अन्य व्यवस्थाओं (पति-पत्नी संबंध, बालक का विद्यालय) पर पड़ेंगे। समाज कार्य मध्यस्थताएं स्वतः ही समस्या के निर्धारण पर निर्भर करेंगी।

व्यवस्था उपागम पर आधारित, हर्टमैन एवं लेयर्ड (1983) ने परिवार केंद्रित समाज कार्य अभ्यास के पारिस्थितिकीय परिप्रेक्ष्य (Ecological perspective) को प्रस्तुत किया जो पारिवारिक निर्धारण की साकल्यवादी योजना (Holistic scheme of family assessment) है। इसे एक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है जिसके द्वारा समाज कार्यकर्ता परिवार के साथ मध्यस्थता के क्षेत्रों की पहचान करेगा और विभिन्न व्यवस्थाओं की भूमिका की रूपरेखा प्रस्तुत करेगा जिसमें समाज कार्यकर्ता द्वारा अंतराज को स्वयं दूर करना और परिवार के पुनर्वास और परिवार के अधिकारों का संरक्षण शामिल है। साकल्यवादी पारिवारिक निर्धारण करने के लिए, समाज कार्यकर्ता परिवार के मानकों, कार्यों, एकसाथ व्यतीत किए गए समय, स्थान (शारीरिक और मनोवैज्ञानिक) निर्णयन (decision-making), लालन-पालन की पद्धति, संबंधित पारिवारिक सदस्यों की विकास संबंधी आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशीलता और अनुकूलनीयता (adoptability) का अध्ययन करेगा।

समाज कार्यकर्ता बाहरी सामाजिक पर्यावरण के साथ परिवार के अंतःसंबंध का भी अध्ययन करेगा। बाहरी सामाजिक पर्यावरण के साथ एक अथवा अधिक संबंधित

पारिवारिक सदस्यों के साथ कोई अपक्रियात्मक अंतःसंबंध का भी अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है। गुजरात में मुस्लिम मौहल्ले में रह रहे हिंदू परिवार को अस्थिर राजनीतिक व्यवस्था के कारण विभिन्न प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। इसी प्रकार, दक्षिण भारत से आए परिवार को भाषायी और सामाजिक-सांस्कृतिक भिन्नताओं के कारण, सामाजिक पर्यावरण के साथ अंतःसंबंध स्थापित करने में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

साकल्यवादी पारिवारिक निर्धारण करने के लिए पता लगाए गए तीन व्यापक क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

- पारिवारिक मानकों (Norms) का सामाजीकरण
- पारिवारिक पर्यावरण
- पारिवारिक गतिशीलता

पारिवारिक मानकों का सामाजीकरण

पारिवारिक मानकों के समाजीकरण के निर्धारण में परिवार के कार्य, विन्यास (patterns), संरचना और प्रथाएं (practices) शामिल हैं। परिवार में ऐसी विभिन्न स्थितियां हो सकती हैं। जो संबंधित परिवार के सदस्यों से भेदभाव और उनके शोषण को प्रदर्शित करती हैं - वे परिवार जहां आयु अथवा लिंग पर आधारित व्यक्ति स्वास्थ्य और विकास के अवसर से वंचित रहता है, उसे मध्यस्थता की आवश्यकता पड़ती है। बालिका को विद्यालय नहीं भेजा जाता जबकि बालक (लड़के) विद्यालय जाते हैं, बुजुर्ग चिकित्सा सहायता के लिए प्रतीक्षा करता है जबकि युवा सदस्यों की मनोरंजन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए टेलीविज़न खरीदने पर धन खर्च किया जा रहा है, परिवार का सबसे बड़ा निरंकुश पुरुष समान जाति और सामाजिक परिस्थिति की लड़की से अपने बेटे का विवाह पक्का कर रहा है और बेटे की पसंद की लड़की से विवाह करने की उसकी इच्छा की उपेक्षा कर रहा है। हो सकता है परिवार में लोकतांत्रिक मूल्य और प्रथाएं न हों। इस प्रकार महिलाओं को निर्णय लेने में शामिल नहीं किया जाता है। पत्नी उत्पीड़न (Wife battering) परिवार का एक सामाजीकृत और आंतरिक आयाम हो सकता है। बाल विवाह, महिलाओं को परिवार नियोजन के उपायों का प्रयोग न करने देना, परिवार के आकार को बढ़ाने अथवा न बढ़ाने का निर्णय विशेष रूप से केवल पुरुषों द्वारा लिया जाता है। इस प्रकार परिवार की महिलाओं का शोषण किया जाता है। ये और ऐसी ही अनेक स्थितियां सूचित

करती हैं कि परिवार के सभी सदस्यों के लिए परिवार एक सुरक्षित आश्रय नहीं है और उनके अधिकारों की उपेक्षा की जाती है तथा उन्हें इनसे वंचित रखा जाता है।

परिवार का पर्यावरण (वातावरण)

पर्यावरण के साथ परिवार के अंतसंबंधों की जांच विभिन्न पहलुओं के साथ की जा सकती है जैसे नृजातीय, क्षेत्रीय और शहरी-ग्रामीण, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्थाओं, शिक्षा और कार्य प्रणालियों, भूमि, आवास, स्वास्थ्य और कल्याण व्यवस्थाओं पारिस्थितिकीय प्रणालियों, कानूनी व्यवस्थाओं आदि के साथ अंतःसंबंध। यदि परिवार की अथवा इसके संबंधित सदस्यों की आवश्यकताएं पर्यावरण से पूरी नहीं होतीं अथवा पर्यावरण के संदर्भ में उनके अधिकारों का संरक्षण नहीं होता तब व्यक्ति अपने पर्यावरण के साथ संघर्ष की अवस्था में हो जाता है। अपने सामाजिक पर्यावरण के साथ संघर्ष में आने वाले परिवारों के कुछ उदाहरण हो सकते हैं : उच्च जाति के हिंदुओं द्वारा किसी गांव में भूमिहीन श्रमिकों के परिवार जो श्रमिकों का उनके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक शक्ति के आधार पर शोषण करते हैं, सामाजिक बहिष्कार का सामना कर रहे एच.आई.वी. ग्रस्त सदस्य (सदस्यों) वाले परिवार, काम की खोज में महानगरों में आनेवाले गरीब प्रवासी परिवार जो आजीविका कमाने में विभिन्न समस्यांओं का सामना कर रहे हैं। इनमें वे परिवार भी शामिल हैं जिन्हें सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों और मानकों के साथ संघर्ष करना पड़ता है जैसे, अविवाहित मां वाले परिवार।

समाज कार्य की मध्यस्थता की आवश्यकता उन परिवारों को भी पड़ती है जिन्हें राजनीतिक और पारिस्थितिकीय व्यवस्थाओं के साथ संघर्ष करना होता है। उदाहरणस्वरूप वे लोग जिन्हें नर्मदा बांध को वर्तमान ऊँचाई तक बनाने के दौरान उजड़ना पड़ा।

पारिवारिक गतिशीलता का निर्धारण

पारिवारिक गतिशीलता के अध्ययन में परिवार के रूप में एक व्यवस्था और इसकी उपव्यवस्थाओं के बारे में निम्नलिखित पहलू शामिल हैं :

संबद्धता (Cohesion) : यह संबंध की घनिष्ठता और गहनता को प्रदर्शित करती है। उलझे हुए संबंधों को असंतोषजनक समझा जाता है क्योंकि यह व्यक्तिपरकता (Indivisuality) के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ती। अत्यधिक संवेगात्मक निर्भरता

को भी उचित नहीं माना जाता। इसी तरह, असंलिप्त संबधों में बहुत कम घनिष्ठता और अधिक संघर्ष होते हैं जो फिर एक समस्या पहलू है। सुझाई गई संबद्धता (असंबद्ध-संबद्ध' प्रकार की संबद्धता है जो अंतरनिर्भरता और व्यक्तिपरकता का परिपूर्ण मेल है।

संचार (Communication) : यह स्पष्ट है कि नकारात्मक संचार विन्यास संबंधों में प्रायः कड़वाहट और संघर्ष लाते हैं। समाज कार्य व्यावसायिकों के रूप में हमें उन पारिवारिक सदस्यों के संचार विन्यास का अध्ययन करना चाहिए जो परिवार में तनावों और संघर्षों को बढ़ा रहे होते हैं।

भूमिका निष्पादन (Role performance) : सभी पारिवारिक सदस्य पारिवारिक जीवन चक्र के विभिन्न अवस्थाओं में कुछ भूमिकाएं निष्पादित करते हैं। पितृसत्तात्मक सामाजिक मानकों का अनुपालन करने वाले परिवारों में प्रायः महिलाओं को परिवार के प्रबंधन और देखभाल के अनेक उत्तरदायित्व वहन करने में शक्ति लगा देती है। पारिवारिक सदस्यों में अपनी भूमिकाओं के संबंध में संघर्ष हो सकता है। संबंधित व्यक्तियों के भूमिका दबाव और/अथवा भूमिका संघर्षों से उत्पन्न होने वाली स्थितियों को समाज कार्य मध्यस्थताओं की आवश्यकता होती है।

निर्णयन (Decision-making) : निर्णयन परिवार में लोकतंत्र और प्रस्थिति का एक निर्णायक संकेतक है। निरंकुश निर्णयन के प्रचलन को पारिवारिक संबंधों के लिए स्वस्थ्य नहीं माना जाता है। लोकतांत्रिक निर्णयन प्रक्रिया अपनेपन और महत्व की भावना प्रदान करती है।

अनुकूलनीयता (Adaptability) : यह पर्यावरण में अन्य सामाजिक व्यवस्थाओं के साथ अंतःसंपर्क करने की योग्यता से संबंधित है। यह माना जाता है कि एक सामाजिक व्यवस्था में परिवार में अर्द्ध-पारगम्य परत होती है जो व्यवस्था के माध्यम से चुनिंदा सूचना और संसाधनों को भेजती है। पारिवारिक सदस्यों के कठोर अनुकूलनीयता विन्यास प्रायः सूचना और संसाधनों को माध्यम से भेजने में अनावश्यक प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं जबकि अव्यवस्थित अनुकूलनीयता विन्यास सूचना और संसाधनों को प्रदान करने पर आवश्यक रोक नहीं लगाते। कठोर और अव्यवस्थित अनुकूलनीयता विन्यासों को पर्याप्त पारिवारिक कार्यसंचालन के लिए समस्यात्मक समझा जाता है।

संबंधित सदस्यों के विकास कार्यों को करने में सफलता

विकास कार्यों को संपन्न करने में परिवार के संबंधित सदस्यों की सहायता करना परिवार का प्रमुख उत्तरदायित्व है चाहे वह शिशु, किशोर अथवा वृद्ध ही क्यों न हो। जो परिवार इन अपेक्षित विकास कार्यों को करने में विलंब करते हैं अथवा असफल रहते हैं, उन्हें समाज कार्य मध्यस्थाओं की जरूरत पड़ती है।

समाज कार्यकर्ता अपक्रियात्मक गतिशीलता की पहचान कर सकता है और निम्नलिखित के लिए कार्य कर सकता है :

- पारिवारिक संबद्धता को असंबद्ध और संबद्ध स्तरों तक लाना
- सकारात्मक संचार विन्यासों को प्रयोग करना
- भूमिका निष्पादन में सहायता करना
- लोकतांत्रिक निर्णय विन्यासों को प्रोत्साहित करना
- पारिवारिक अनुकूलनीयता विन्यास की संरचना करना अथवा इसे आवश्यकता के अनुसार लचीला बनाना
- संबंधित सदस्यों के विकासीय कार्यों को प्राप्त करने में सहायता करना।

सारांश

परिवार एक औपचारिक रूप से विकसित विश्वव्यापी सामाजिक संस्था है। यह समाजीकरण करने वाला प्राथमिक अध्याय है। यह व्यक्ति की पहचान और व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण कार्य है। यह उत्तरजीविता (प्रारंभिक वर्षों में), सुरक्षा, प्रेम और स्नेह की आवश्यकताएं पूरी करता है।

विवाह पुरुष और महिला का सामाजिक रूप से स्वीकृत मिलन है जिसे पारिवारिक जीवन चक्र का आरंभ माना जाता है। यह यौन व्यवहार के नियंत्रण और प्रजनन एवं बालकों के पालन-पोषण से जुड़ा है। विवाह के विभिन्न रूपों (एकविवाह प्रथा और बहुविवाह प्रथा) पर भी चर्चा की गई।

सामाजिक परिवर्तन के आंरभ होने से परिवार के वैकल्पिक रूप जैसे महिला प्रधान

परिवार, एकल अभिभावक परिवार, साथ रहने का संबंध मानक पारिवारिक विन्यासों की मौजूदगी के साथ-साथ उभरकर सामने आ रहे हैं। मानक पारिवारिक विन्यास के उदाहरण संयुक्त परिवार और नाभिक परिवार हैं। 'परिवार' की परिभाषा भी बदल गई है और नवीन परिभाषा में परिवार के रूप में कोई भी सहमतिजन्य मेल शामिल है।

परिवार के संबंध में परिवार और लोगों के अधिकारों पर भी चर्चा की गई। परिवारों को वंश परंपरा (पितृवंशीय और मातवंशीय), स्थान (पितृस्थानिक, मातृस्थानिक और नवस्थानिक) और वंश अर्थात पीढ़ी (पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्म) आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। समाज कार्य व्यावसायिकों को परिवार के पालन-पोषण, प्रेम और सहायता का आदर्श चिरस्थायी स्रोत नहीं समझना चाहिए। यह कुछ पारिवारिक सदस्यों के विरूद्ध निरंतर भेदभाव और शोषण का भी स्रोत (मूल कारण) हो सकता है। पितृसत्तात्मक पारिवारिक संरचना ने लिंग भेदभाव, शोषण और दुरूपयोग को अनेक प्रकार से बढ़ावा दिया है।

सामान्य प्रणाली प्रतिमान में पारिवारिक निर्धारण और मध्यस्थता माडल पर चर्चा की गई। एकसाथ रह रहे परिवार के सभी सदस्यों को मिलाकर भी परिवार का महत्व कहीं ज्यादा होता है। संबंधित सदस्यों के अंतःसंपर्क विन्यास, अभिवृत्तियाँ, मूल्य, लक्ष्य, संचार विन्यास और अन्य अनेक कारक परिवार के कार्यसंचालन पर प्रभाव डालते हैं। साकल्यवादी पारिवारिक निर्धारण के तीन व्यापक क्षेत्रों पर भी चर्चा की गई। पारिवारिक मानकों का सामाजीकरण जिसमें परिवार के कार्य, विन्यास संरचना और प्रथाएं, पारिवारिक पर्यावरण का अध्ययन जिसमें बाहरी सामाजिक व्यवस्थाएं जैसे नृजातीय, क्षेत्रीय और शहरी/ग्रामीण पृष्ठभूमि, राजनीतिक, आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण, कानूनी प्रणाली आदि हैं तथा पारिवारिक गतिशीलता जिसमें संबद्धता, संचार (संप्रेषण), भूमिका निष्पादन, निर्णयन, अनुकूलनीयता आदि शामिल हैं, इन सभी पर भी प्रकाश डाला गया।

कुछ उपयोगी पुस्तकें

बॉस, पी.जी., दोहर्टी, डब्ल्यू.जे., लारोज़ा, आर., स्टेनमेज़, एस.के. (1993) : सोर्सबुक ऑफ फैमिली थ्योरीज़ एंड मैथड्स : ए. कंटेक्सच्युअल एप्रोच। प्लेनम यू.एस.।

बर्गेस, ई.डब्ल्यू., लॉक, एच.जे. एवं थामस, एम.एम. (1963) : दि फैमिली, अमेरिकन बुक कंपनी, न्यूयॉर्क।

चक्रवर्ती, के.के. (संपा.), (1994) : दि इंडियन फैमिली। नई दिल्ली : इंदिरा गांधी मानव संग्राहलय।

हार्टमैन, ए एवं लेयर्ड, जे. (1993) : फैमिली सेंटर्ड सोशल वर्क प्रैक्टिस। लंदन : फ्री प्रेस।

रॉय पी.के. (2000) : दि इंडियन फैमिली, चेंज एंड पर्सपेक्टिव। नई दिल्ली : ज्ञान पब्लिशिंग हाउस।